न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या :– 24/2015

1. सतनामसिंह पुत्र गोमासिंह जाति रायसिख निवासी सड़िया पोस्ट मण्डी मीनगज तहसील जलालाबाद वेस्ट जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. सोनासिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति रायसिख निवासी सड़िया पोस्ट मण्डी मीनगज तहसील जलालाबाद वेस्ट जिला फाजिल्का (पंजाब)

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. जट्टो बाई पत्नी स्व. नाजरसिंह
2. सुरजीतकौर } पुत्रियां नाजरसिंह } निवासी दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुबा बाई
4. सरपंच ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30.05.2018

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 169 दिनांक 05.11.2005 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट संख्या 1 सतनाम सिंह के पिता गोमासिंह को गोमासिंह के पिता यानि दादा नादर सिंह के नाम से वाके चक 7 सी बड़ी सैकण्ड तहसील श्रीगगानगर के नाम से आराजी मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 16 की 2 बिस्वा, किला नम्बर 24 की 5 बिस्वा, किला नम्बर 25 की 18 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 13 ता 22 की 10 बीघा कुल रकबा तादादी 11 बीघा 5 बिस्वा यानि 2.845 हैक्टश्र नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर खातेदारी दर्ज थी जमाबन्दी संलग्न है।

अपीलान्ट के दादा नादर सिंह द्वारा अपनें जीवन काल में अपीलान्ट संख्या 1 के पिता व अपीलान्ट संख्या 2 के पिता नाम से एक वसीयत पंजीकृत पंजाबी में करवाई जिसमें दोनों को बहिस्सा बराबर उनकी मृत्यु के बाद बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त हो अन्य किसी भी उत्तराधिकारी को इस आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं होगा पंजाबी की वसीयत व इसका हिन्दी अनुवाद अपील के साथ संलग्न है।

अपीजान्टस के दादा नादरसिंह का देहान्त दिनांक 20.11.1978 को हो चुका है जिस कारण नादरसिंह द्वारा की गई वसीयत दिनांक 02.11.1978 के अनुसार उनके दोनो लड़कों गोमासिंह व प्रेमसिंह बहिस्सा बराबर स्वतः ही नियत हा गई परन्तु यह उल्लेख करना उचित होगा कि गोमासिंह नें एक वसीयत तहरीर की जिसमें अपना 1/2 हिस्सा अपनें लड़के हरनामसिंह, सतनामसिंह, कश्मीरसिंह, कालासिंह, मक्खनसिंह बहिस्सा बराबर उसके मरनें के पश्चात हो। श्री गोमासिंह का देहान्त दिनांक 02.01.1997 को हो चुका है, इस वसीयत की रूह से अपीलान्ट व उसके भाई हरनामसिंह, कश्मीरसिंह, कालासिंह, मक्खनसिंह, वसीयत की रूह से गोमासिंह को प्राप्त 1/2 हिस्सा के बराबर वयीयत के आधार पर नियत हो चुका है इसलिये अपीलान्ट अपील प्रस्तुत करनें के अधिकारी है।

अपीलान्ट संख्या 2 सोनासिह के पिता श्री प्रेमसिंह नें अपनें जीवनकाल में अपनें पिता से प्राप्त वसीयत के आधार पर 1/2 हिस्सा उक्त आराजी का अपने दो लड़कों के नाम से सोनासिंह व बलविन्द्रसिंह के नाम से कर दिसा था परन्तु वर्तमान में बलविन्द्रसिंह का भी देहान्त हो चुका है। और उसकी कोई औलाद नहीं थी इसलिये प्रेमसिंह द्वारा की गई वसीयत दिनांक 01.09.2000 के आधार पर मात्र प्रेमसिंह की 1/2 हिस्सा आराजी का एकेला ही उत्तराधिकारी है।

अपीलान्ट अपनें पिता द्वारा की गई वसीयत के आधार पर उक्त अपील में वर्णित आराजी में 1/2 बहिस्सा बराबर के हकदार है अपीलान्ट ने पिछले वर्ष इस आराजी को काश्त हेतु रेस्पोडेन्ट के अनुरोध पर दी थी परन्तु वर्ष समाप्त होनें के पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा मार्च 2015 में कब्जा खाली करके देनें के लिये कहा वह कतई इन्कार हो गये उन्होनें यह कहा कि यह आराजी नाजरसिंह पुत्र धनकंद सिंह के नाम से आराजी है और नाजरसिंह का देहान्त हो चुका है इसलिये अपीलान्ट इस आराजी को प्राप्त करनें का अधिकारी है।

अपीलान्ट नें एक दावा भी सतनामसिंह बनाम जट्टो बाई प्रस्तुत किया हुआ है, जो अभी जेरकार है परन्तु अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कहा गया कि उनके नाम से इन्तकाल स्वीकृत हो चुका है। इसलिये वे एक मात्र ही इस आराजी के वारिस है जिस पर अपीलान्टस से नकल हेतु सम्पर्क किया और पटवारी हल्का से नकल दिनांक 22.07.2015 को प्राप्त की रेस्पोडेन्ट नें फर्जी रूप से इन्तकाल दर्ज करवाया है दिनांक 22.07.2015 को ही सर्वप्रथम पटवारी हल्का नें बताया जिस पर नकल प्राप्त की इसलिये अपील सर्वप्रथम ज्ञान के अन्दर से मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

अपीलकृत इन्तकाल पूर्णतः विधि विरूद्ध व खिलाफ कानून पारित किया गया है। अपीलकृत इन्तकाल पारित करनें से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही नोटिस लेनें से इन्कार किया। अपीलकृत इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जो अपास्त किये जानें योग्य है।

अपीलान्ट के दादा के नाम से जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा नादरसिंह पुत्र धनकंदसिंह के नाम से विवादित आराजी आवंटन हुई थी जिसकी जमाबन्दी व इन्तकाल की पूर्व की नकल प्रस्तुत है इसलिये अपीलान्ट अपनें दादा द्वारा की गई वसीयत के आधार पर अपीलकृत इन्तकाल में दर्ज आराजी को अपास्त करनें का अधिकारी है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को नुकसान पहुचानें की नीयत से राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करके नादरसिंह की जगह जमाबन्दी में नाजरसिंह दर्ज करवाया तथा नाजरसिह की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलकृत इन्तकाल अपनें नाम से दर्ज करवा लिया है जिसकी अपील प्रस्तुत की जा रही है यह कि वास्तव में नाजरसिंह को भी कभी विवादग्रस्त भूमि आवंटन नहीं हुई इसलिये नाजरसिंह को कोई भी अधिकार इस भूमि में नहीं थे इसके बावजूद भी रेस्पोडेट द्वारा अपनें पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया। असके पश्चात अपीलकृत इन्तकाल करवाया है जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है जो अपास्त किये जानें योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 05.11.2005 सरपंच ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट द्वारा बिना प्रस्ताव अकेले सरपंच द्वारा किया गया है, जो अपास्त किया जाकर और भी यह उचित होगा कि रेस्पोडेन्ट द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी करके रिकार्ड में नादरसिंह के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में नाजरसिंह दर्ज करवाकर अपीलकृत इन्तकाल अपनें नाम से करवाया है के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.04.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का देहान्त हो चुका है, और उसका कोई वारिस नहीं है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दिनांक 10.08.2016 को हटाया गया।

दिनांक 04.10.2016 को अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्ट संख्या 3 का देहान्त हो चुका है, और उसका कोई वारिस नहीं है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का नाम दिनांक 04.10.2016 को हटाया गया।

दिनांक 30.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित राजस्व लोक अदालत के दौरान प्रकरण में सरंपच ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट को सुना गया। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील के बिन्दूओं को दोहराते हुए अपील स्वीकार किये जानें का निवेदन किया।

–:: आदेश ::–

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट द्वारा दर्ज नामान्तरकरण नम्बर 169 दिनांक 05.11.2005 विधि विरूद्ध स्वीकृत होनें के कारण खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि वो समस्त पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एंव ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट तहसील श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिंनाक 30.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर